संख्या-23/2022/2068960/12-5099(002)/6/2021

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजना हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-प्रसार/1715/कृ०प्र०प्रा०/2021-22, दिनांक 04.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजना के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में रू० 21.08 लाख (रू० इक्कीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग करायी जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, धनराशि का व्यय उसी मद/कार्यों में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर किया जायेगा।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य-योजना एवं गाइडलाइन्स/सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजना के मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां योजना के मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष के नामे डाला जायेगा।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
प्रपत्र बी0एम0-09

वित्तीय वर्ष 2021-22

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 109 0300 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां					
01-वेतन	34326.11	268.00	268.00	21.08	34305.03
कुल योग	34326.11	268.00	268.00	21.08	34305.03

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 109 0300 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण 03-कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां					
05-स्था0 यात्रा व्यय	6.00	28.78	22.78	0.00	6.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	4.64	2.64	0.00	2.00
49-चिकित्सा व्यय	200.00	421.50	221.50	0.00	200.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00	21.08	21.08	21.08	21.08
कुल योग	208.00	476.00	268.00	(21.08)	229.08

(रूपया दो करोड़ अट्ठासठ लाख मात्र)
(रु० दो करोड़ साठ लाख आठ हजार मात्र)

1- स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-
(1)-अद्यतन व्यय के आधार पर उपलब्ध बचत।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित व्ययाधिक्य निम्नलिखित कारणों से है:-
(2)- उक्त मदों में पर्याप्त धन की व्यवस्था न होने के कारण।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आर0ई0- 616 -ई-1-दस-2022, दिनांकः 26-3-2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(अमित चन्द्र)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

Signed by फूल चन्द यादव
Date: 25-03-2022 17:29:34
Reason: Approved

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2068960/12-5002(002)/6/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृपि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमर चन्द)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।